एस.पी. सिंह
विशेष कार्याधिकारी।

अर्द्ध.शा.प.संख्या-31/104रिट/47-3-2014-3/9/2008
कार्मिक अनुभाग-3
उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ : दिनांक : 14 फरवरी, 2014

प्रिय महोदय,

रिट याचिका संख्या-5081(एस.एस.)/2008, संजय कुमार पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देशानुसार कार्यवाही किए जाने विषयक मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के पत्रांक-14722(टी) दिनांक 09.12.2013 की संलग्न प्रति संलग्नकों सहित का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

उक्त के संबंध में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि प्रश्नगत रिट याचिका जनगणना विभाग के छंटनीशुदा कर्मचारियों द्वारा स्वयं को शासकीय सेवा में समायोजित किए जाने हेतु योजित की गयी है। रिट याचिका में कार्मिक विभाग की किसी नीति अथवा शासनादेश को चुनौती नही दी गयी है। चूँकि याची का प्रशासकीय विभाग सामान्य प्रशासन विभाग है और प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा की जानी है। अतएव मुख्य स्थायी अधिवक्ता, लखनऊ बेंच, लखनऊ के पत्र दिनांक 09.12.2013 को मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि कृपया प्रशासकीय विभाग होने के कारण प्रकरण में अपने स्तर से अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(एस0पी0 सिंह)

श्री अशोक घोष
प्रमुख सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

अर्द्ध0शा0प0 संख्या-31/104रिट(1)/47-3-14-3/9/2008, तददिनांक-

पत्र की प्रतिलिपि मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ को उनके पत्रांक-14722(टी), दिनांक 09.12.2013 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से

(एस0पी0 सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।